

11 $\frac{06}{24}$ पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी
उपस्थित नहीं। उनके अनुपस्थित रहने के
कारण प्रार्थना - पत्र से संबंधित मूल दावा
अदम पैरवी अदम हाजरी में स्वारिज
क्रिया जा चुका है। जिससे यह प्रार्थना
पत्र आगे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्रार्थना - पत्र वली
स्तर पर स्वारिज क्रिया जाता है। पत्रावली
मिगत्र में शुमार की जावे तथा तरीब
तकमील की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरु